

## विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 (01.06.2017 से 31.03.2018) तक के लिए घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत मदिरा दुकानों के तृतीय चरण के व्यवस्थापन हेतु जनपद अल्मोड़ा की निम्नांकित मदिरा दुकानों हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, सम्बन्धित दुकानों व उनके राजस्व का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	दिनांक 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के लिए निर्धारित राजस्व			
			लाइसेंस फीस	वार्षिक अधिभार	कुल राजस्व	धरोहर धनराशि
1	गनाई	विदेशी मदिरा	2018000	23209550	25227550	504551
2	द्वाराहाट	देशी मदिरा	1439000	16545320	17984320	359687
3	गनाई	देशी मदिरा	1007000	11584231	12591231	251825


उपरोक्त मदिरा दुकानों को निर्धारित राजस्व पर संचालन के इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य के निवासी आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत पहचान पत्र, शपथ पत्र तथा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ देशी/विदेशी मदिरा मिश्रित व विदेशी मदिरा दुकान हेतु ₹ 25,000/- तथा देशी मदिरा दुकान हेतु ₹ 22,000/- का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के पक्ष में देय हों, के साथ आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्ण राजस्व का आफर करने वाले आवेदक को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर दुकानों के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यदि उक्त दुकानों हेतु पूर्ण राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकानों को दैनिक आधार पर संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से भी आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में अन्य सूचनायें सूचना जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,  
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 178 / पाँच-आब/व्यवस्थापन/2017/दिनांक: जून 7, 2017  
प्रतिलिपि -

1. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपना लोकप्रिय समाचार पत्र में उत्तराखण्ड संस्करण में न्यूनतम स्थान में दिनांक 08.06.2017 को ही प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0, मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ जनपद अल्मोड़ा की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट जिला कार्यालय अल्मोड़ा/सूचना पट समस्त तहसीलें जनपद अल्मोड़ा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

  
 जिला आबकारी अधिकारी,  
 अल्मोड़ा। 26/12